न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 124/2012

उनवान

रफीक बनाम शाहनूर

आवेदन पत्र वास्ते वाद अबैट होने से खारिज करने बाबत।

—: आदेश :— दिनांक :— 9.4.21

अधिवक्ता प्रतिवादीगण/प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में वादी संख्या 1 रफीक की मृत्यु दिनांक 2.1.18 को व वादी संख्या 3 वहीद की मृत्यु दिनांक 16.4.17 को हो चुकी है तथा अन्य प्रकरण 81/14 रफीक बनाम शाहनूर में वारिसान वहीद की मृत्यु होने से रेकार्ड पर लेने का प्रार्िना पत्र दिनांक 4.8.17 को पेश कर दिया है तब से जानकारी होने के बावजूद आज तक वारिस रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही नही की गयी है। अतः मृत व्यक्ति की हद तक वाद अबैट करने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद अबैट होने से खारिज किया जावे।

अधिवक्ता वादी ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश कर दिया है। उसके पश्चात वादी संख्या 2 की भी मृत्यु हो गई किन्तु लॉकडाउन होने व पक्षकार से सम्पर्क नही होने से समय पर विधिक वारिसान बाबत आवेदन पेश नही किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने हाल ही मे परिसीमा बाबत छूट प्रदान की है जिसका परिपत्र जारी हुआ है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रगाकृतिक न्याय के सिद्धांतों के मध्यनजर वाद में गुणवगुण पर आदेश पारित करे।
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली व प्रस्तुत नजीर का अवलोकन किया। उभयपक्ष के तर्को पर मनन किया। वादी ने हाजा न्यायालय के समक्ष उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88,188,92अ राज0 काश्त0 अधि0 1955 सपठित धारा 136 राज0 भू राज0 अधि0 1956 दिनांक 11.5.12 को प्रस्तुत किया है। अधिवक्ता वादी ने अपने जवाब में कथन किया है कि वादी संख्या 1 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश कर दिया है। उसके पश्चात वादी संख्या 2 की भी मृत्यु हो गई किन्तु लॉकडाउन होने व पक्षकार से सम्पर्क नही होने से समय पर विधिक वारिसान बाबत आवेदन पेश नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध द... से स्पष्ट है कि वादी द्वारा पूर्व में वादी संचसा 1 के वारिसों को रेकार्ड पर लेने हेतु आ... पेश नही किया था। वादी संख्या 1 व 2 के वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु अबैट प्रार्थना पत्र से पूर्व कोई कार्यवाही नही की गयी। अबैट प्रार्थना पत्र पेश होने के बाद वादी ने वादी संख्या ... के वारिसो को रेकार्ड पर लेने हेतु आवेदन पेश किया है। जिसमें वादी ने स्वयं अंकन किया है कि वादी संख्या 1 की मृत्यु दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2.01.18 व वादी संख्या 2 की मृत्यु दिनांक 16.4.17 को हो गयी है। उक्त प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वादी ने अंकित किया है कि वादी की मृत्यु की जानकारी न्यायालय में फर्द अहकाम की रिपोर्ट व सम्मन रिपोर्ट से होने पर अविलम्ब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। किन्तु न्यायालय आदेशिका में वादी संख्या 1 व 2 की मृत्यु होने की सूचना अंकित नही है। कोविड–19 के कारण लॉकडाउन मार्च 2020 के बाद से लागू हुआ था। तथ उसके पश्चात भी लगभग 6 माह से न्यायालय कार्य किया जा रहा है किन्तु उसके उपरान्त भी वादी द्वारा वारिस रेकार्ड पर लेने की कार्यवाही नही की गयी। साथ ही अन्य हाजा न्यायालय में विचाराधीन अन्य प्रकरण संख्या 81/14 में वादी ने वादी वहीद के वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 4.8.17 को ही पेश कर दिया था। वादी द्वारा लॉक डाउन अवधि के आधार पर क्षमा चाही है किन्तु वादीगण की मृत्यु लॉक डाउन से दो वर्ष पूर्व ही हो गयी है। साथ ही दिनांक 1.4.21 व 25.3.21 को वादीगण के वारिस रेकार्ड पर लेने हेतु जो आवेदन पेश किया है उसके साथ वादीगण के समस्त वारिसों का वकालतनामा भी पेश नही किया है। वादीगण ने विलम्ब का कोई समुचित व युक्तियुक्त कारण अपने ओवदन या जवाब में नही दर्शाया है। धारा 5 परिसीमा अधिनियम में भी प्रार्थी ने विलम्ब का कोई सद्भाविक कारण नही बताया है। उसके द्वारा प्रकरण में अत्यधिक विलम्ब किया गया है। पक्षकार को न्यायिक प्रकिया की जानकारी नही होना स्वभाविक है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधिवक्ता को वादीगण की मृत्यु की जानकारी होने के बाद भी प्रार्थना पत्र पेश नही करना क्षमा योग्य नही है। कायम मुकाम हेतु 90 दिवस निर्धारित है, प्रार्थीगण द्वारा उक्त अवधि में प्रार्थना पत्र पेश नही किया है। अतः वाद स्वतः अबेट हो गया है।

अतः प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है। वादी संख्या 1 व 2 की हद तक वाद अबैट होने के कारण वाद खारिज किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद (जिला-अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2021.09.24 13:57:31 IST
Reason: SelfAttested